

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 ( ) रसद/केरो.आ./2017/ 173

दिनांक :-10/03/2017

उप-आवंटन आदेश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संशोधित आवंटन आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/17 जयपुर दिनांक 10/03/2017 द्वारा जिले को 924 केएल केरोसीन का आवंटन जारी किया गया है। वितरण स्केल बिना घरेलू गैस कनेक्शनधारी राशनकार्ड पर 3 लीटर प्रतिमाह निर्धारित की गई है। माह फरवरी 2017 में बाद वितरण थोक विक्रेताओं के पास 180.36 केएल केरोसीन स्टॉक में अवशेष है। इसमें क्रमशः त्रिपुरा एजेन्सी 31.42 केएल, सांवरिया केरोसीन 56.08 केएल, सुमतीलाल हजारीमल 48.01 केएल, सिद्धि विनायक केरोसीन 44.43 केएल एवं एट योर डोर 0.42 केएल केरोसीन अवशेष है। इसे सम्मिलित करते हुए विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30(1)खावि/केरोसीन/99 दिनांक 14/06/2006 एवं पत्र क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि. केरोसीन/2001/ दिनांक 23/01/2003 के निर्देशों की अनुपालना में खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 20 के अध्यक्षीन जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन की वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु माह मार्च 2017 के लिये केरोसीन का संशोधित रोस्टर/आवंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है।

पंचायत समितिवार/थोक विक्रेतावार केरोसीन का आवंटन/रोस्टर

(मात्रा केएल में)

क्र.सं.	क्षेत्र	मैं त्रिपुरा एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, कुशलगढ	मैं सिद्धि विनायक केरोसीन थोक विक्रेता, गढी	मैं एट योर डोर केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाडा	मैं सुमतीलाल हजारीमल केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाडा	मैं सांवरिया एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, घाटोल	योग
1	नगर बांसवाडा	17.60	0.00	0.00	27.61	18.48	63.69
2	नगर कुशलगढ	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	8.80
3	पं. स. तलवाडा	0.00	0.00	158.73	0.00	0.00	158.73
4	पं. स. छोटी सरवन	0.00	0.00	59.51	0.00	0.00	59.51
5	पं. स. गढी	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	197.23
6	पं. स. आनन्दपुरी	0.00	90.09	0.00	0.00	0.00	90.09
7	पं. स. बागीदौरा	0.00	143.44	0.00	0.00	0.00	143.44
8	पं. स. सज्जनगढ	0.00	0.00	0.00	104.94	0.00	104.94
9	पं. स. कुशलगढ	0.00	0.00	0.00	94.71	0.00	94.71
10	पं. स. घाटोल	0.00	0.00	0.00	0.00	184.47	184.47
	योग	214.83	233.53	218.24	236.06	202.95	1105.61
	योग (कुल आवंटित)	184.00	184.00	184.00	188.00	184.00	924.00
	आरक्षित	-30.83	-49.53	-34.24	-48.06	-18.95	-181.61

निर्देश :-

- ऑयल कम्पनी द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं को उपरोक्त अंकित केरोसीन की आवंटित मात्रा में परिवर्तन की स्थिति में सम्बन्धित थोक विक्रेता समय पर केरोसीन वितरण से बचे हुए डीलरों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगा, ताकि उन्हें अन्य थोक विक्रेताओं से केरोसीन उपलब्ध करवाया जा सके। प्राप्त आवंटन की तुलना में वितरण सूची में केरोसीन की मात्रा अधिक होने पर पूर्व स्टॉक से आपूर्ति करेंगे।
- अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक एफ 65 (2) खा.वि./ एल.पी.जी./पेपर कटिंग/ 06 दिनांक 18/02/2011 के द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं को प्रत्येक माह 1 से 14 तारीख के मध्य 70 प्रतिशत तथा 15 से माह की अन्तिम तिथि तक 30 प्रतिशत केरोसीन तेल का उठाव करने एवं दिनांक 1 से 14 एवं 15 से माह की अन्तिम तिथि का पृथक - पृथक रोस्टर जारी करने के निर्देश हैं।
- बिन्दु संख्या 1 की पालना में पंचायत समितिवार रोस्टर के मुताबिक उचित मूल्य दुकानदारों को केरोसीन वितरण किया जावे। जिन उचित मूल्य दुकानों पर पूर्व सूची के अनुसार केरोसीन भर दिया गया है, उन्हें अवशेष मात्रा यदि इस माह देना संभव नहीं हो तो आगामी माह में प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जावेगी।
- बिन्दु संख्या 1 की पालना में नगर बांसवाडा एवं नगर कुशलगढ के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर केरोसीन तेल का उचित मूल्य दुकानदारों को वितरण किया जावे।
- थोक विक्रेता संलग्न सारणी में आवंटित मात्रा के अनुसार ही खुदरा विक्रेताओं को केरोसीन की आपूर्ति करेंगे। आवंटित मात्रा से कम/अधिक मात्रा की आपूर्ति नहीं की जावेगी।
- समस्त प्राधिकृत केरोसीन थोक विक्रेता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2009 जयपुर दिनांक 20/11/09 की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दैनिक सूचना नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा को प्रस्तुत करेंगे।
- अधिकृत केरोसीन थोक विक्रेताओं द्वारा टैंकर क्रम संख्या अनुसार आपूर्ति किये गये केरोसीन की सूचना आगामी दिवस को सुबह जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार कार्यालयको संलग्न प्रारूप "ख" में प्रस्तुत की जावेगी व प्रारूप "क" व "ग" में माह समाप्ति के 3 दिवस में सूचना प्रस्तुत की जावेगी।

8. खुदरा विक्रेता क्रमानुसार केरोसीन की प्राप्ति करेंगे एवं थोक विक्रेता केरोसीन खाली करने आये तब खुदरा विक्रेता खाली करवाने एवं भुगतान से इनकार नहीं करेंगे।
9. जिले में प्रचलित राशनकार्डों के अनुसार 2.9 लीटर के अनुपात में 1105.61 केएल केरोसीन आवंटित किया गया है। जिसे प्रति राशनकार्ड 03 लीटर केरोसीन वितरण किया जाना है।
10. खाद्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2013 दिनांक 28/01/2013 की अनुपालना में खुदरा विक्रेता एलपीजी गैस के डीबीसी एवं एस.बी.सी. गैस कनेक्शन धारकों को केरोसीन वितरण नहीं करेंगे। बिना गैस के राशनकार्ड धारियों को 03 लीटर तक प्रतिमाह केरोसीन की ही आपूर्ति करेंगे। केरोसीन उपभोक्ता को 17.50 रु. प्रति लीटर में नए डीजीटल राशन कार्डों पर विक्रय किया जावेगा। यह वितरण सतर्कता समिति से भौतिक सत्यापन करवाया जाकर दिनांक 10 से 24 तक उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान किया जावेगा। साथ ही अपने निवास से दूर अध्ययनरत छात्रों को उनके संस्था प्रधान द्वारा जारी राशन कार्डों पर प्रति राशन कार्ड 03 लीटर तक केरोसीन वितरण किया जावेगा। वितरण पश्चात सम्बन्धित संस्था प्रधानों से सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी माह का केरोसीन आवंटित किया जावेगा। अयशेष केरोसीन अपने स्टॉक में सुरक्षित रखा जाये।
11. केरोसीन का वितरण पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जावेगा।
12. नीले केरोसीन का खाना पकाने एवं प्रकाश व्यवस्था के अलावा अन्य उपयोग प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय है।
13. केरोसीन के उठाव व वितरण पर प्रवर्तन स्टाफ एवं राजस्व विभाग के द्वारा पूर्ण निगरानी रखी जावेगी एवं आदेश की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
14. आईओसीएल के केरोसीन टर्मिनल से केरोसीन टैंकर भरवाकर बांसवाड़ा आने पर टैंकर की टोल टैक्स की रसीदें प्रत्येक टैंकर की वितरण सूची के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

जिला लक्टर (रसद),  
बांसवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सांसद महोदय, बांसवाड़ा- डूंगरपुर ससदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाड़ा।
3. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
4. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा/गढी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ।
5. प्रधान, पंचायत समिति, बांसवाड़ा/तलवाड़ा/घाटोल/बागीदौरा/छोटी सरवन/कुशलगढ/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/अरथुना/गांगडतलाई/गढी।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
7. उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा/कुशलगढ/घाटोल/बागीदौरा/गढी/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/छोटी सरवन।
8. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, बांसवाड़ा।
9. उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार बांसवाड़ा को वेब पोर्टल पर डालने हेतु।
10. आयुक्त नगर परिषद बांसवाड़ा/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका कुशलगढ।
11. जिला प्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाड़ा।
12. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा/गढी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ।
13. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा मु. तलवाड़ा / गढी / घाटोल / बागीदौरा / आनन्दपुरी /सज्जनगढ/कुशलगढ/ छोटी सरवन/अरथुना/गांगडतलाई/तलवाड़ा।
14. संबंधित प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय हाजा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।
15. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सुमतिलाल हजारीमल, बांसवाड़ा।
16. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स एट योर डोर, बांसवाड़ा।
17. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सिद्धि विनायक गढी।
18. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स त्रिपुरा एजेन्सी, कुशलगढ।
19. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सांवरिया सप्लायर्स, घाटोल।
20. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला, बांसवाड़ा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/ निरीक्षक।
21. लेखा / वितरण शाखा।

  
जिला रसद अधिकारी,  
बांसवाड़ा